प्रेषक,

पुष्पराज,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांकः 25 अप्रैल, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुदान संख्या-65 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/ दस -2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 216.80 लाख (रूपये दो करोड़ सोलह लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदया आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :--

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिये अधिकार प्रदान नहीं करता है, अतः जहॉ कहीं आवश्यक हो, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षः 2052000910500 (अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो) के नामे डाला जायेगा।

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	01- वेतन	125.00
2	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	03- मँहगाई भत्ता	56.25
3	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	04- यात्रा व्यय	0.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
5	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	06- अन्य भत्ते	2.50
6	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	07- मानदेय	1.00
7	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	08- कार्यालय व्यय	2.00
8	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.20
9	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.30
10	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	13- टेलीफोन पर व्यय	0.50
11	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00
12	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.20
13	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	26- मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.50
14	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	29- अनुरक्षण	0.50
15	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	42- अन्य व्यय	0.50
16	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30
17	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.50
18	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.10
19	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.25
20	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	49- चिकित्सा व्यय	4.00
21	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	51- वर्दी व्यय	0.20

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

22	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	55- मकान किराया भत्ता	8.00
23	65	2052000910500 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4.00
		कुल		216.80
		महायोग		216.80

(रूपये दो करोड सोलह लाख अस्सी हजार मात्र)

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/ दस -2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
पुष्पराज
विशेष सचिव।

संख्या-01/2023/वे0आ0-1-306371(1)/दस-2023-01(एम)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अपर निदेशक, वित्त, 6, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पुष्पराज
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।